न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 06/2019

अपीलांट

1. भोनाराम पुत्र खसाजी
2. खीमाराम पुत्र खसाजी
3. भोपाराम पुत्र खसाजी, जातियान पुरोहित, निवासी बावतरा, तहसील सायला, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्रीमति सीतादेवी पत्नी जुठाजी
2. श्रीमति शांतिदेवी पत्नी करणाजी
3. वरदाराम पुत्र करताजी फौत के कायम मुकाम–
   3/1 महेन्द्र कुमार गोदपुत्र वरदाजी, जाति पुरोहित
4. मु. जोईती पत्नी हंजाजी, जातियान पुराहित, निवासीगण बावतरा, तहसील सायला, जिला जालोर।
5. भूमिधारी तहसीलदार सायला

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26/02/2020

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 71/2010 बउनवान सीतादेवी बनाम भोनाराम वगैरा में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 02 ने एक वद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बावतरा, तहसील सायला के खसरा नंबर 559 रकबा 0.01 हैक्टर, किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 560 रकबा 11.34 हैक्टर, कुल रकबा 11.35 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी में अपना 1/4 हिस्सा बताते हुए बंटवाडा कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, जो दर्ज रजिस्टर होकर प्रकरण संख्या 16/05 दर्ज हुआ। प्रतिवादीगण/अपीलांट संख्या 01 से 03 व सुबटी पत्नी खसाजी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 वरदा पुत्र करता ने दिनांक 29.09.2005 को जवाब दावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत करने के पश्चात सीतादेवी के पति जूठाजी व शांतिदेवी के ससुरजी जुठाजी व प्रतिवादीगण व गाांव के मौजिज व्यक्तियों व भाईयों के बीच दिनांक 27.12.2007 को एक लिखत होकर आपसी राजीनामा उपरोक्त वाद बाबत किया गया, जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पति व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के ससुर जुठाजी भी मौजूद थे, उस राजीनामे के अनुसार गांव में लिखापढी कर आपस में बंट तय किया गया, जिसमे 27 बीघा खसाजी के हिस्से में 27 बीघा वरदाजी के हिस्से में तथा 17 बीघा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 के होना मानकर सभी ने एक राजीनामा लिखत लिखा तथा यह तय हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 दावा हटा देगी, जिस पर अपीलांट ने न्यायालय में आना बंद कर दिया, क्योंकि गांव व पंचो के बीच में पक्षकारान ने राजीनामा कर लिया था। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 03 वरदा पुत्र करताजी दिनांक 08.07.2013 को ही फौत हो गये थे एवं उनका वारिस गोदपुत्र महेन्द्र कुमार होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे रेकर्ड पर नहीं लिया गया, तथा प्रतिवादी वरदाराम की फौतगी वर्ष 2013 में हो जाने के बावजूद भी उसके खिलाफ प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। इसके अतिरिक्त दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 04 सुबटीदेवी पत्नी खसराजी का भी स्वर्गवास दिनांक 15.05.2018 को हो जाने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा इसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त मृतक पक्षकारो के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये बिना मृतक पक्षकारो के विरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट के हिस्से में 1/6 हिस्सा भूमि ही राजस्व रेकर्ड अनुसार आती है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे का अवलोकन किये बगैर ही रेस्पोडेन्ट को 1/4 हिस्सा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को दे दी गई। वादग्रस्त आराजी में हिस्से से अधिक की रजिस्ट्री रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अपने हिस्से मे करवाई है जो एब इनिश्योवॉईड है तथा अपीलांट के हक हकूको के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को नजरअदांज करते हुए मृतक पक्षकारो के विरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो शुरू से ही शून्य है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 02 ने एक वद अन्तर्गत धारा 53 व

06/2019

भोनाराम वगैरह बनाम श्रीमति सीतादेवी वगैरह

पेज संख्या 3/5

188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बावतरा, तहसील सायला के खसरा नंबर 559 रकबा 0.01 हैक्टर, किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 560 रकबा 11.34 हैक्टर, कुल रकबा 11.35 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी में अपना 1/4 हिस्सा बताते हुए बंटवाडा कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, जो दर्ज रजिस्टर होकर प्रकरण संख्या 16/05 दर्ज हुआ। प्रतिवादीगण/अपीलांट संख्या 01 से 03 व सुबटी पत्नी खसाजी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 वरदा पुत्र करता ने दिनांक 29.09.2005 को जवाब दावा पेश किया। उसके पश्चात अपीलांट के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कभी उपस्थित नहीं हुए, जबकि अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण की पूर्णतया जानकारी थी। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी में धुका फौत तारीया की वारिस जोईती पत्नी हंजीया 1/3 हिस्सा यानि 24 बीघा की हिस्सेदार थी, जिसके आधार पर जोईती द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा सुंबानखां व सुमेरसिंह को जरिये रजिस्ट्री बेचान कर दिया था, उसके पश्चात सुबानखां एवं सुमेरसिंह ने उक्त आराजी में से कुल 18 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय बेचान की है। उक्त बेचान दस्तावेज बिनाय पर नामान्तरकरण संख्या 1228 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम भरा गया तथा नामान्तरकरण संख्या 1253 रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम भरा जाकर उक्त जमाबंदी 2060 से 2063 में अमल दरामद किया गया। तब से लेकर आदिनांक तक वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 का कब्जा काश्त है। जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने वादग्रस्त आराजी में से 1/8, 1/8 वा यानि 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की है। इसके अतिरिक्त वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने वाद वरदाराम पुत्र करता, सुबटीदेवी पत्नी खसाजी के फौत होने के पश्चात उक्त पक्षकार के कायम मुकाम को रेकर्ड पर नही लिये बिना मृतक पक्षकारो के विरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित किये जाने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त पक्षकार प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित थे, जिससे अपीलांटगण को उक्त पक्षकारो के फौतगी की सूचना होने के बावजूद जानबूझकर न्यायालय को इस बाबत सूचना नहीं दी गई। प्रकरण में अगर किसी भी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो निश्चय ही उसके देहान्त की सूचना न्यायालय को देना अपीलांट का दायित्व है, किन्तु उतना ही दायित्व प्रतिवादी अधिवक्ता का भी है, किन्तु अपीलांट के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर अपने पक्षकारो के देहान्त की सूचना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं दी गई एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। इसके अतिरिक्त सुबटीदेवी अपीलांट की माता है जिससे अपीलांट की माता होने के नाते सुबटीदेवी का हिस्सा स्वतः ही अपीलांट के हिस्से में आ जाता है एवं वरदाराम द्वारा महेन्द्र कुमार को गोद लिया गया है एवं महेन्द्र कुमार को हाजा न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाया गया है। जिससे वरदाराम का हिस्सा महेन्द्र कुमार को दिया जाता है तो इससे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 02 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बावतरा, तहसील सायला के खसरा नंबर 559 रकबा 0.01 हैक्टर, किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 560 रकबा 11.34 हैक्टर, कुल रकबा 11.35 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी में अपना 1/4 हिस्सा बताते हुए बंटवाडा कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। प्रकरण में अपीलांट ने सर्वप्रथम यह बिन्दु यह उठाया गया है कि संपूर्ण वादग्रस्त आराजी मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 शांतिदेवी का 1/12 वा हिस्सा व सीतादेवी का 1/12 वा हिस्सा बनता है। इस संबध में रेस्पोडेन्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अन्तर्गत सुमेरसिंह द्वारा श्रीमति शांतिदेवी को संपूर्ण वादग्रस्त आराजी में से 1/8 हिस्सा का बेचान मौल बिकता रूपये 25000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये में बेचान करने का अंकन है। इसके अतिरिक्त सुबान खा द्वारा सीतादेवी को संपूर्ण आराजी में से 1/8 हिस्सा का बेचान करने का अंकन है। जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने संपूर्ण वादग्रस्त आराजी 1/8, 1/8 हिस्सा यानि 1/4 हिस्सा खरीद किया है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को निरस्त किये जाने के संबध में किसी प्रकार की कोई चाराजोही नहीं की है, एवं न ही इस संबध में कोई दस्तावेज हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को संपूर्ण आराजी में से 1/4 हिस्सा दिया गया है, जिसमे हमे किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा यह कथन किया गया है कि सीतादेवी के पति जूठाजी व शांतिदेवी के ससुरजी जुठाजी व प्रतिवादीगण व गांव के मौजिज व्यक्तियों व भाईयों के बीच दिनांक 27.12.2007 को एक लिखत होकर आपसी राजीनामा उपरोक्त वाद बाबत किया गया, जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पति व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के ससुर जुठाजी भी मौजूद थे, उस राजीनामे के अनुसार गांव में लिखापढी कर आपस में बंट तय किया गया, जिसमे 27 बीघा खसाजी के हिस्से में 27 बीघा वरदाजी के हिस्से में तथा 17 बीघा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 के होना मानकर सभी ने एक राजीनामा लिखत लिखा गया। हाजा न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त राजीनामा अनरजिस्टर्ड है जिसे साक्ष्य के आधार पर ग्रहण किया जाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह उठाया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने वाद वरदाराम पुत्र करता, सुबटीदेवी पत्नी खसाजी के फौत होने के पश्चात उक्त पक्षकार के कायम मुकाम को रेकर्ड पर नही लिये बिना मृतक पक्षकारो के विरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है एवं साथ ही अपीलांट द्वारा वरदाराम व सुबटी देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वरदाराम द्वारा महेन्द्र कुमार को दिनांक 27.11.2006 को गोद लिये जाने बाबत रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त पक्षकारान का दौराने वाद देहान्त हो चुका था एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता द्वारा इस बाबत कोई सूचना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं दी गई। हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सुबटीदेवी जो कि खसाजी की पत्नी है एवं उक्त अपील में समस्त अपीलांट खसाजी के पुत्र है, जिससे सुबटीदेवी अपीलांटगण की माता होने के नाते उनका संपूर्ण वादग्रस्त आराजी में होने वाला हिस्सा स्वतः ही अपीलांटगण के हिस्से में दिया जाना उचित है। इसके अतिरिक्त उक्त अपील में वरदाराम पुत्र करताजी के गोद पुत्र महेन्द्र कुमार को भी पक्षकार बनाया गया है। जिससे वरदाराम का गोदपुत्र होने के नाते वरदाराम का संपूर्ण आराजी में आने वाले हिस्से का महेन्द्र कुमार को दिया जाना उचित है। हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील में समस्त मृतक पक्षकारो के वारिसान को पक्षकार बनाया गया है, एवं साथ ही प्रकरण में अभी तक अंतिम डिक्री जारी नहीं की गई है जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की गई त्रुटि को न्यायहित में इसी स्तर पर सुधार किया जाना उचित है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से संपूर्ण वादग्रस्त आराजी का 1/4 हिस्सा खरीद किया है एंव अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को संपूर्ण आराजी में से 1/4 हिस्सा दिया गया है। जिसमे हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई त्रुटि को न्यायहित में इस स्तर पर सुधारने से उक्त अपील को स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 71/2010 बउनवान सीतादेवी बनाम भोनाराम वगैरा में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए सुबटीदेवी पत्नी खसाजी का संपूर्ण वादग्रस्त आराजी के आने वाला हिस्सा अपीलांटगण को दिये जाने का आदेश दिया जाता है एवं वरदाराम का गोदपुत्र होने के नाते वरदाराम का संपूर्ण आराजी में आने वाले हिस्सा महेन्द्र कुमार को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री में दिया गया 1/4 हिस्सा यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार विधि की पूर्ण प्रक्रिया का पालना करते हुए प्रकरण में 01 माह में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 26/2/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली